प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिये वरदान

कृषि कुंभ (मार्च, 2023),
खण्ड 02 भाग 10, पृष्ठ संख्या 76–78

प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिये वरदान

सूरज अवस्थी एवं सुनील कुमार,
कृषि विभाग, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: surajavasthi95@gmail.com

परिचय

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों के डीजल पेट्रोल से चलने वाले पम्पों को सोर ऊर्जा पम्प में बदलने का कार्य शुरू किया है। इस योजना की घोषणा पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी द्वारा की गयी। किसानों को सिंचाई का एक अच्छा माध्यम देने के लिये प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत की। सरकार द्वारा योजना के लिए 34,422 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रदान किया गया। उम्मदीवार किसानों को 60 प्रतिशत केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान किये जाएंगे। इसके साथ 30 प्रतिशत ऋण बैंक द्वारा व दस फीसदी का किसानों को भुगतान करना होगा। वर्ष 2018 के बजट में 28,250 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किसान–उन्मुख योजना' प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना' को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी। यदि पीएम कुसुम योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है तो यह भारत में ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत आधार के रूप में कार्य कर सकती है।

सरकार द्वारा कुसुम योजना की शुरुआत अलग –अलग राज्यों में कर दी गयी है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से चलने वाले सोलर पंप की सुविधा प्रदान की जायेगी। सरकार द्वारा 3 करोड़ पेट्रोल और डीजल सिंचाई पम्पों को सौर ऊर्जा पम्पों में बदलेगी। राज्यों के सभी इच्छुक उम्मीदवारों को। पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आर्टिकल में कुछ राज्यों जैसे– राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि आधिकारिक वेबसाइट के लिंक दिये गए है। उम्मीदवार अपने राज्य की कृषि एवं ऊर्जा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सोर ऊर्जा पम्प लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी की कमी की वजह से फसल खराब हो जाती है। या फिर किसान को सोलर पैनल लगाने में अश्मर्थ रहते हैं। इन समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए सरकार द्वारा योजना के तहत सोलर पैनल लगवाए जाएंगे। इन सोलर पैनलों द्वारा बिजली का निर्माण भी होगा जिसका इस्तेमाल किसान अपने घरों में कर सकते हैं व अतरिक्त बिजली को सरकार को बेच भी सकते हैं। च्डइल के माध्यम से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

पीएम कुसुम योजना के घटकः

- पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - **घटक ए :** भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।

- **घटक बी** : 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- **घटक सी** : ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण

इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 34,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम कुसुम योजना आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:

प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए उम्मदीवारों को कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है।

- आधार कार्ड
- मूल निवास
- आय प्रमाण पत्र
- किसान होने का प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- जमीन का विवरण
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लाभ:

योजना के माध्यम से किसानों को कौन–कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। उन लाभों की जानकारी नीचे लेख में दी गयी है। उम्मीदवार लेख में दी गयी सूची के माध्यम से लाभ संबधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- पी. एम. के. वाई. के तहत लगने वाले सोलर पैनल में किसानों को केवल 10 फीसदी का भुगतान करना होगा।

- जिस भूमि में पानी की कमी के कारण अनाज नहीं उगाया जाता था अब उस जमीन में भी अनाज उगाया जा सकता है।

- सोलर पैनल लगनी से सोलर पम्प के साथ बिजली भी उत्पन की जा सकती है।

- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

- योजना के माध्यम से आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों को बचाया जा सकता है।

- सोलर पैनल का बार लगाने के बाद बार बार खर्चे नहीं करने पढ़ेंगे।

- कुसुम योजना के तहत लगने वाले सोलर पैनलों से जो बिजली बनेगी उसका उपयोग किसान अपने घरों में कर सकते हैं व अतरिक्त बिजली को बेच भी सकते हैं।

- योजना के माध्यम से पर्यावरण पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- आवेदन फॉर्म भरने के 90 दिनों के भीतर आपके सोलर पंप चालु कर दिए जाते है।

चुनौतियाँ:

- **संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता:** इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किये जाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपकरणों की स्थानीय अनुपलब्धता है। वर्तमान में स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये पारंपरिक विद्युत या डीजल पंप की तुलना में सोलर पंप की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई ळें
  - इसके अलावा 'घरेलू सामग्री आवश्यकता संबंधी नियमों की सख्ती के कारण सौर ऊर्जा उपकरणों के आपूर्तिकर्त्ताओं को स्थानीय सोलर सेल निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, हालाँकि वर्तमान में देश में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त घरेलू सोलर सेल निर्माण क्षमता नहीं विकसित की जा सकी है।
- **छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी:** इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी किये जाने का आरोप भी लगता रहा है, क्योंकि यह योजना 3 हॉर्स पावर और उससे उच्च क्षमता वाले पंपों पर केंद्रित है।
  - इस योजना के तहत किसानों की एक बड़ी आबादी तक सौर पंपों की पहुँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि

वर्तमान में देश के लगभग 85: किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं।

- विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भू–जल स्तर में हो रही गिरावट किसानों के लिये छोटे पंपों की उपयोगिता को सीमित करती है।

- **भू–जल स्तर में गिरावट:**
  - केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में लगभग 30 मिलियन कृषि पंप संचालित हैं जिनमें से लगभग 22 मिलियन विद्युत चालित, जबकि 8 मिलियन डीजल पंप चालित हैं।
  - गौरतलब है कि वर्तमान में देश के कृषि क्षेत्र में वार्षिक विद्युत खपत लगभग 200 बिलियन यूनिट है, जो कि देश की कुल विद्युत खपत का लगभग 18: है।
  - कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को लेकर सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिये जाने के कारण सिंचाई के लिये खर्च की जाने वाली विद्युत की लागत बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कई किसान अनावश्यक रूप से जल का दोहन करते रहते हैं। कृषि क्षेत्र में भू–जल का यह अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।
  - सिंचाई के लिये सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने के बाद भू–जल स्तर में गिरावट की स्थिति में उच्च क्षमता के पंपों को लगाना और भी कठिन तथा खर्चीला कार्य होगा, क्योंकि इसके लिये किसानों को पंप से साथ–साथ बढ़ी हुई क्षमता के लिये सोलर पैनलों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

- **क्रियान्वयन में देरी:** गौरतलब है तत्कालीन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट की घोषणा के 20 दिनों के अंदर ही मार्च 2018 में इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की बात कही गई थी जबकि इस योजना के लिये केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी फरवरी 2019 में प्राप्त हुई।

हालाँकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसके तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने और अन्य 15 लाख किसानों को अपने विद्युत चालित पंप के सौरीकरण में सहयोग देने की बात कहते हुए इस योजना के दायरे को बढ़ाने की घोषणा की गई।

निष्कर्ष:

सरकार की अन्य कई योजनाओं की तरह ही पीएम कुसुम योजना भी जनहित और एक आत्मनिर्भर भारत के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। परंतु भारत में सोलर सेल के निर्माण को बढ़ावा देने या विद्युत सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से हटाए जाने से जुड़े नीतिगत हस्तक्षेप इस योजना के लिये अपने लक्ष्य की प्राप्ति में एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं।